न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 225 / 2020 जिला टोंक

1. ताराचन्द पुत्र मन्ना जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
2. छोटूलाल पुत्र श्योपाल जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
3. मूलचन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
4. जगदीश पुत्र भूर जी जाति बलाई निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
5. मोतीलाल पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिलाटोंक(राज0)
6. प्रहलाद पुत्र गोरधन जाति कुम्हार निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
7. हीरालाल पुत्र मूलचन्द जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
8. रामलाल पुत्र केसरा जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
9. चोथमल पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
10. फूला पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
11. सुखेदव पुत्र मन्ना जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
12. बाबू पुत्र नारायण जाति धोबी निवासी निवासी जामडोली तहसील निवाई जिलाटोंक(राज0)
13. कालू पुत्र हीरानाथ जाति नाथ निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
14. बाबू पुत्र हीरानाथ जाति नाथ निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
15. रामजीलाल पुत्र किस्तूर चन्द जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
16. बजरंगलाल पुत्र किशना जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
17. सूरज पुत्र गोरू जाति माली निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
18. गोपी पुत्र श्रवण जाति माली निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
19. सत्यनारायण पुत्र कन्हैयालाल जाति नाई निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक
20. रेवडमल पुत्र बिरधा जाति रेगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
21. रामकुंवार पुत्र फोरू जाति मीणा निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
22. बद्री पुत्र कल्याण जाति ब्राहमण निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
23. छोटू पुत्र कल्याण जाति बलाई निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
24. कजोड़ पुत्र प्रहलाद जोशी निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
25. रामसहाय पुत्र धन्नालाल जाति रेगर निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
26. कालू पुत्र भूरा जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
27. चिरंजीलाल पुत्र मिश्रीलाल जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक

—अपीलांटस

बनाम्

1. लालाराम पुत्र गोपी जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
2. मदन पुत्र गोपी जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
3. पप्पू पुत्र गोपी जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
4. कालू पुत्र गोपी जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
5. लाडा पत्नि गोपी जाति खटीक निवासी जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0)
6. ममता पुत्री गोपी धर्मपत्नि राजेश जाति खटीक निवासी ग्राम जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक(राज0) हाल निवासी बोरदा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर(राज0)
7. आवंटन सलाहकार समिति जरिये एस0डी0ओ0 टोंक(राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 08.03.2017 प्रकरण संख्या 11/2010 उनवानी गोपीलाल आदि बनाम लालाराम, आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970

उपस्थित अभिभाषकः—श्री योगेश व्यास(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः—अनुपस्थित
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—17.02.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की ओर से न्यायालय जिला कलक्टर टोंक के समक्ष नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि ग्राम जामडोली के खसरा नम्बर 730 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर मौके पर रास्ता बना हुआ है। फिर भी उक्त भूमि को गोपी पुत्र मोती खटीक को जो रेस्पोडेंट के पिता व पति है को भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.01.1983 को आवंटित की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 11/2010 के रूप में दर्ज किया जाकर अपने निर्णय दिनांक 08.03.2017 को जिला कलक्टर टोंक द्वारा प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया तथा आवंटन बहाल रखा गया। जिला कलक्टर टोंक के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा उक्त अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. उक्त भूमि सार्वजनिक महत्व की है तथा आवंटित खसरा नम्बर से होकर मौके पर रास्ता बना हुआ है जो जामडोली से ग्राम रहड़ जाता है। साथ ही एक नाला बना हुआ है। जिसमें जंगलात का समस्त पानी बहकर ढील नदी में जाता है। रेस्पोडेट द्वारा काश्त नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार की जायें और आवंटन निरस्त किये जायें तथा जिला कलक्टर टोंक का निर्णय दिनांक 08.03.2017 निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर टोंक के निर्णय के विरूद्ध अपील तत्समय न्यायालय आरएए टोंक में दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत की थी। उनके द्वारा दिनांक 27.01.2020 को राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधीसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से सुनवाई हेतु प्रेषित की गई। जिसे दिनांक 18.03.2020 को प्रकरण संख्या 225/2020 के रूप में दर्ज किया है। बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील अपीलांट उपस्थित रहे। वकील रेस्पोडेंट एवं राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित रहें। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि हमारी एवं ग्राम पंचायत की शिकायत है। आवंटित खसरा नम्बर में काश्त नहीं है। नाला और रोड़ बनी हुई है। आवंटन 28 वर्ष पूर्व हुआ है। ग्रेवल रोड़ बनी हुई है। सार्वजनिक महत्व की भूमि है।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के अनुसार पहले पैरवी के लिए अपीलांट चिंरजीलाल आया करता था। वह वृद्ध व अनपढ़ व्यक्ति है तथा वह काफी समय से बिमार चल रहा था। चिरंजीलाल की तबीयत ठीक होने पर वह अपने केस के बारे मे जानकारी करने के लिए दिनांक 28.08.2018 को टोंक आया था। वकील साहब द्वारा उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दी गयी थी। उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया। नकल दिनांक 04.09.2018 प्राप्त की गई है तथा उसके तुरंत बाद अपील प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जाये। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण द्वारा दिनांक 10.09.2018 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस बिन्दुओं का मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण द्वारा अपील मीमो में यह बताया गया कि आवंटित खसरा नम्बर सार्वजनिक महत्व का है। जिसमें मौके पर रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ता अकाल राहत कार्य के तहत बनाया गया था। अपीलांटगण को आशंका है कि रेस्पोडेंट नाले को बंद कर सकता है। जिससे सारा पानी अपीलांट ग्रामीवासीयों के खेतों और कुओं से होकर निकलेगा, जिससे कुएें और खेत नष्ट हो जायेगें। भूमि उपजाउ नहीं रहेगी। उपरोक्त भूमि के पास चारागाह भूमि है। जिसमें से भी विपक्षीगण व गजानन्द ने लगभग 25—25 बीघा चारागाह भूमि पर काश्त की है। पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटवाने बाबत जिला कलक्टर से निवेदन किया है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक दिनांक 08.03.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अनुसार रेस्पोडेंट को नियमानुसार भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 09.01.1983 को कैम्प जामड़ोली में खसरा नम्बर 730 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि ग्राम जामड़ोली आवंटन कर दिनांक 11.01.1983 को सुपुर्दगी में दी गयी थी। आवंटन के बाद अकाल राहत कार्य में यदि कोई सड़क बना भी दी जाती है तो इसमें आवंटी की कोई गलती नही है। गोपी पिता मोती द्वारा राजस्व एवं भू—सुधार विशेष अभियान वर्ष 1977 में काश्त करने के लिए नवीन जमीन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया जाना पाया जाता है। आवंटी द्वारा मूलचन्द तथा साधुलाल की मौजूदगी में कब्जा प्राप्त किया गया था। उक्त कब्जा दिनांक 11.01.1983 को प्राप्त करना पाया जाता है। उपर्युक्त प्रक्रिया के बाद गोपी के पक्ष में भू—आवंटन आदेश जारी किया था। शिकायतकर्ता अपीलांट द्वारा विवादित भूमि में रास्ते व नाले बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। जहां तक रास्ते की बात है। इस पर अपीलांटगण को आशंका है कि रेस्पोडेंट उक्त रास्ते को रोक सकता है। इस बाबत यह आशंका मात्र है। प्रचलित रास्ते को यदि रोक दिया जाता है तो उक्त रास्ते को खुलवाने बाबत वे तहसीलदार कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उजरदारी कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। पत्रावली पर प्रस्तुत ग्राम पंचायत जामड़ोली के पत्र दिनांक 05.02.2019 का अवलोकन किया गया। यह सरपंच रसालदेवी द्वारा जारी किया गया है। उक्त शिकायती पत्र वे तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत कर आवश्यक अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अपीलांट द्वारा आवंटित भूमि में काश्त बाबत खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नही की गई है। जिसके अवलोकन से काश्त बाबत जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। अपील दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव से पीड़ित है। अपीलांट द्वारा अपने अपील तथ्यों को सिद्ध नही किया गया है। रेस्पोडेंट को नियमानुसार भूमि आवंटित की गई थी। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 11/2010 गोपीलाल बनाम लालाराम एवं अन्य अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 निर्णय दिनांक 08.03.2017 को यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:23:20 IST
Reason: SelfAttested

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर